न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—01/2025

1. अमरसिंह पुत्र रेवती जाति गूजर निवासी सौनोठी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत भैंसा जरिये श्रीमान सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत भैंसा, पंचायत समिति उच्चैन जिला भरतपुर।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति उच्चैन,भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र पंचौली एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—18.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 474/0.19, 491/0.97, 492/0.11है0 बाके ग्राम सोनोठी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थी ने उक्त आराजीयत में रबी की फसल में सरसों की फसल बोई है जो कि सरसब्ज खडी हुई है। प्रार्थी की आराजीयात में कोई सरकारी रास्त मौजूद नहीं है। दिनांक 03.01.2025 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त आराजी पर आये और आराजीयत में सरकारी योजनान्तर्गत रास्ता आम निकालने की नीयत से नापतौल करने लग गये। प्रार्थी उस समय अपनी उक्त आराजीयत पर ही मौजूद था। प्रार्थी द्वारा उसकी आराजी से रास्ता निकालने का विरोध किया तो अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से जबदस्ती रास्ता निकालने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.05.2025 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये एवं जबाव हेतु समय चाहा। दिनांक 28.07.2025 को अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी में मौके पर कोई रास्ता आम चालू नहीं है एव ना ही रिकार्ड में कोई सरकारी रास्ता प्रार्थी की आराजी से होकर निकलता है। परन्तु अप्रार्थीगण उसकी आराजी से होकर सरकारी योजनान्तर्गत रास्ता आम प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

होकर निकालना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 एवं खसरा नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्ताबेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी से होकर अप्रार्थीगण बिना किसी कानून एवं आदेश के सरकारी रास्ता निकालना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के हक में जाहिर नहीं होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर